**अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2022 (GCMS 2022/271)(आरटीआई नं. 212941596703178) संजय कुमार पुत्र राजकुमार वार्ड नं. 14, श्रीकरणपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर**

**11.02.2023**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** संजय स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2022 से सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी संजय कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से सूचना चाही थी, अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2022 की प्रति संलग्न नहीं की है।

**लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:**

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि आप द्वारा अपील प्रार्थना पत्र के संबंध में टिप्पणी व संबंधित रिकॉर्ड भिजवाने हेतु लिखा गया है, जिसमें निम्नानुसार जवाब सादर पेश है :
>
> 1. प्रार्थी संजय कुमार द्वारा दिनांक 18.10.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6(1)) के अन्तर्गत प्रार्थना 1 से 8 तक कोई भी वांछित सूचना हेतु आवेदन नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 1 में सूचना चाही गई थी कि – "मुझे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2010 से लेकर 2022 तक अनुसूचित जनजाति (घाणका) जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। जितने भी (प्रमाणपत्र) (धाणका) जाति के बनाये गये है उनकी सूचना लिखित रूप में Provide करवायी जाये'' प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में केवल धाणका जाति की सूचना चाही गई है। ऑनलाइन पोर्टल पर केवल धाणका जाति के प्रमाण पत्र से संबंधित सूची अलग से प्रदर्शित नहीं होती है। अतः खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना संधारित कर देय नहीं है।

2\. यह आरोप अस्वीकार्य है कि प्रार्थी को न जवाब दिया गया है और न ही अपीलीय अधिकारी के संबंध में बताया गया है। जबकि सही यह है कि प्रार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांक स्था/22/399 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा जवाब दिया गया है तथा जवाब में अपीलीय अधिकारी की सूचना दी गई है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2022 नियमानुसार अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी को सूचित कर दिया गया। अतः अपील प्रार्थी खारिज की जाने के आदेश फरमावें।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार [illegible] जा चुका है और **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(च) के [illegible] सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जानी उचित होगी।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें [illegible] अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाखिल [illegible] हो।

**यह आदेश** [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले **न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:21 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर